चित्रकूट-पुलिस

**(1).** "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।
आवेदिका मालती पुत्री नन्दकिशोर निवासी ग्राम सिरावल माफी जनपद चित्रकूट ने अपने पति आशीष उर्फ राजा पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी कुंजनपुरवा कसहाई रोड कर्वी व सुसुरालीजनों के विरूद्ध के विरूद्ध मारपीट,लड़ाई-झगड़ा एवं दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्री मती अनुपमा तिवारी व उनकी टीम महिला से महिला आरक्षी अनामिका द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।
समझौता कराने वाली टीमः-
1.श्रीमती अनुपमा तिवारी (प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र)
2.महिला आरक्षी अनामिका

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री रामसिंह के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस टीम द्वारा नाबालिक से छेडखानी करने वाले वांछित आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.03.2026 को एक ग्राम वादिया द्वारा थाना सरधुवा पर सूचना दी कि अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र राजकरण निवासी ग्राम बिहरवा थाना सरधुवा द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी। सूचना के आधार पर थाना सरधुवा में मु0अ0स0 43/26 धारा 74,333 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के मेडिकल, मा0 न्यायालय के समक्ष बयान धारा 183 बीएनएसएस के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट का लोप करते हुये धारा 64(2)च ¾ पॉक्सो एक्ट में की बढोत्तरी की गयी। आज दिनाँक 15.04.2026 को उ0नि0 श्री अजहर जमाल व उनकी टीम ने मु0अ0सं0 43/26 धारा 64(2)च,333 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट के वाँछित अभियुक्त उमेश कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री अजहर जमाल
2.आरक्षी दीपेश कुमार
(4).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा बलात्कार के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.01.2026 को एक वादिया द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी कि अभियुक्त शिवम पाण्डेय पुत्र पवन कुमार पाण्डेय निवासी नीबी थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा वादिया के साथ बुरी नियत से पीछे से लिपटना,अश्लील हरकत करना एवं घर वालो से शिकायत करने पर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देना इस पर सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 18/26 धारा 75,351(3),352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस के तहत मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) की बढ़ोतरी करते हुए आज दिनाँक 15.04.2026 को उ0नि0 राहुल पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शिवम पाण्डेय उपरोक्त को ग्राम मिश्र का डेरा औझर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय

2.मुख्य आरक्षी पवन तिवारी